# अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
# पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

## कार्यालय आदेश

का०आ०स०–प्र०–7/मुक०–57/2016 38 /पटना, दिनांक 27/2/17

संवेदक मेसर्स अरविन्द कुमार सिंह, गंगजला सहरसा, द्वारा पथ प्रमंडल कटिहार के अन्तर्गत तीन कार्यो यथा (i) पहलागढ़–नवादा–बेलराही–डुमरिया–पहाड़पुर पथ के कि०मी० 2 से 16.115 में आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2012–13 (ii) कोढ़ा–फलका पथ के कि०मी० 1 से 13 (अंश) में आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2012–13 तथा (iii) चाँदपुर–पी०डब्लू०डी० पथ के बेलगच्छी भाया रोनिया कन्हरिया पथ के कि०मी० 0 से 9 (अंश) आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2012–13 तथा पथ प्रमंडल किशनगंज के अन्तर्गत वायसी–अमौर–बहादूरगंज–दीघल बैंक पथ के कि०मी० 56.6 से 77 तक आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2012–13 के निविदा में इनके द्वारा PMGSY के अन्तर्गत धमदाहा–बरहरा पथ (जिला पूर्णिया अन्तर्गत पैकेज संख्या–27/97 PMGSY) का गलत अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया।

गलत प्रमाण–पत्र निविदा कागजात के साथ संलग्न कर निविदा प्राप्त करने के प्रयास संबंधी आरोप के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावल, 2007 के संगत धाराओं के तहत इनके निबंधन संख्या–अ०प्र०/श्रेणी–1–409/2012 पथ के विरूद्ध कार्रवाई के लिए विभागीय पत्रांक–7959 (ई०) दिनांक 06.12.2012 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गयी। संवेदक द्वारा दिनांक 21.12.2012 को अपना उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें की गयी गलती को टंकण भूल के तहत स्वीकार किया गया। विभाग द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के पूर्व NBCCL से उक्त गलत अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन विभागीय पत्र संख्या–929 (ई०) अनु० दिनांक 18.02.2013 द्वारा NBCCL से कराया गया। जिसमें महाप्रबंधक NBCCL के द्वारा अपने पत्रांक–158 दिनांक 07.03.2013 द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा PMGSY पथ कार्य के तहत कार्य यथा धमदाहा से बरहरा (Package No-BR 27/99 PMGSY/2008-09, एकरारनामा की राशि 4.35 लाख) के लिए Work Certificate उनके कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार संवेदक द्वारा जाली अनुभव प्रमाण–पत्र देकर निविदा प्राप्त करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया, तद्आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (vii) के तहत विभागीय पत्रांक–2036 (ई०) दिनांक 25.03.2013 के द्वारा संवेदक के निबंधन संख्या–अ०प्र०/श्रेणी–1–409/2012 पथ को कालीसूची में डाला गया।

उक्त कालीकरण के विरूद्ध संवेदक द्वारा दायर अपील आवेदन की दिनांक 13.05.2013 को विभागीय सचिव के समक्ष सुनवाई की गयी। उक्त सुनवाई में अपील आवेदन को अस्वीकृत करने के बाद विभागीय पत्रांक–3866 (ई०) दिनांक 19.06.13 के द्वारा अभियंता प्रमुख का कालीकरण आदेश ज्ञापांक 2036 (ई०) दिनांक 25.03.2013 को यथावत् रखा गया।

उक्त कार्यालय आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No-15492/2013 वाद में दिनांक 07.09.2016 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

" This Court, however, takes note that the impugned order of blacklisting (Annexure-08) has been passed against the patitioner for and indefinite period which is clearly in unacceptable in view of the observations of the Hon'ble Supreme Court in Kulja Industries Ltd. Vs. Chief General Manager BSNL & Others, (2014) 14 SCC 731. In that view of the matter and in line with the view expressed in para 26 of the said decision, the matter is remitted back to the Engineer in Chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Road Construction Department, Bihar, Patna (Respondent No-3) for the limited purpose of determining the specific period for which the order of blacklisting shall operate and remain effective."

मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M/S Kulja Industries Limited Case के मामले में पारित न्यायादेश के observation के पश्चात विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.15 –सहपठित ज्ञापांक 5403 (एस) दिनांक–18.06.2015 द्वारा अलग–अलग कदाचार के लिए कालीकरण की अवधि अलग–अलग निर्धारित की गई।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका– 11 (क) (vii) एवं विभागीय ज्ञापांक–5403 (एस) दिनांक–18.06.2015 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.15की कंडिका–8 (4) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में संवेदक मेसर्स अरविन्द कुमार सिंह, गंगजला सहरसा (निबंधन संख्या–अ०प्र०/श्रेणी–1–409/2012 पथ पथ) के कालीकरण की अवधि 10 (दस) वर्ष निर्धारित की जाती है।

1. कालीकरण में रहने की अवधि दिनांक–25.03.2013 से 24.03.2023 तक प्रभावी रहेगी।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।
3. पूर्व के आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 23/2/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–57/2016– 1022(E) /पटना, दिनांक 27/2/17

निबंधित

**प्रतिलिपि** :– संवेदक मेसर्स अरविन्द कुमार सिंह, गंगजला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/2/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–57/2016– 1022 (E) /पटना, दिनांक 27/2/17

**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–57/2016– 1022(E) /पटना, दिनांक 27/2/17

**प्रतिलिपि** :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–57/2016– 1022(E) /पटना, दिनांक 27/2/17

**प्रतिलिपि** :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

23/2/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

23/2/17

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUNIL\BLACKLISTING\MS. ARBIND KUMAR SINGH.DOCX